

नियम ११(२) (अ) के अन्तर्गत,

प्ररूप – क में प्राप्त दावे के सम्बन्ध में वन अधिकार समिति द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन एवं संकल्प का मार्गदर्शी नमूना

दावेदार (रों) का (के) नाम :

(१)

(२)

ग्राम :

ग्राम पंचायत :

तहसील :

१. दावे का स्वरूप : जो लागू हो उस पर सही का निशान (✓) लगाएं :

अधिभोग (कब्जे) के अन्तर्गत भूमि का विस्तार (क्षेत्रफल) :

(क) निवास के लिये : हेक्टर एकड़

(ख) स्वयं खेती के लिये : हेक्टर एकड़

विवादित भूमि 3 (1), (क),

पट्टा/लीज की भूमि 3(1) (छ),

दिनांक 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व अवैधानिक बेदखली या विस्थापन 3(1) (ड),

किसी प्रोजेक्ट के लिये अर्जित भूमि, जहाँ से भूमि प्रतिकार दिये बिना विस्थापित किया गया 4 (8)

‘वन ग्राम’ से सम्बन्धित भूमि 3(1) (ज),

अन्य पारम्परिक अधिकार (यदि कोई हो)

२. दावे के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य

(1)

(2)

(3)

(4)

३. दावा फार्म में प्रस्तुत जानकारी पर टिप्पणी :

(१) क्या दावेदार द्वारा प्राथमिक रूप से वन-निवासी होने के सम्बन्ध में जो प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, वह समाधानकारक है?..... हाँ/नहीं

(२) क्या दावेदार अनुसूचित जनजाति वर्ग से है तो

(१) क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है?

(२) क्या वह १३ दिसम्बर, २००५ के पहले से वन भूमि में निवास कर रहा है अर्थात् क्या उसका निवास (घर) वन में बना हुआ है? हाँ/नहीं

(३) यदि दावेदार, अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी वर्ग से है तो क्या उसका पति/उसकी पत्नी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं और इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है? हाँ/नहीं

- क्या दावेदार अपने पूर्वजों के निवासकाल को मिलाकर १३ दिसम्बर, २००५ के पूर्व (७५ वर्ष अर्थात् १३ दिसम्बर, १९३०) से वन-निवासी है?

- क्या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण/साक्ष्य समाधानकारक है? यदि उसका निवास वन में नहीं है तो कहाँ हैं?

(४) क्या दावे से सम्बन्धित भूमि, १३ दिसम्बर, २००५ के पहले से दावेदार के अधिभोग (कब्जे) में है? हाँ/नहीं

(५) यदि हां तो इसके प्रमाण में प्रस्तुत/उपलब्ध साक्ष्य (अभिलेख) का विवरण:

.....
.....
.....

(५प) क्या दावे से सम्बन्धित भूमि ३१ दिसम्बर २००७ को भी दावेदार के कब्जे में थी?
हाँ/नहीं. यदि हां तो इसके प्रमाण में प्रस्तुत/उपलब्ध साक्ष्य (अभिलेख) का विवरण :

.....
.....
.....

(५) क्या दावेदार का १३ दिसम्बर २००५ के पहले, दावे से सम्बन्धित भूमि पर कब्जा था लेकिन उसे बेदखल कर दिया गया था? हाँ/नहीं.

यदि हाँ, तो ऐसा कब और किसके द्वारा किया गया ? (तथ्यात्मक विवरण दें)

.....
.....
.....

- क्या उसे बगैर नोटिस या पी.ओ.आर. के हटाया गया ? हाँ/नहीं

- क्या उसे हटाये जाने का मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है? हां/नहीं. यदि हां तो कहां? (प्रकरण का क्रमांक और न्यायालय का नाम आदि लिखें)

(६) यदि दावेदार के कब्जे की भूमि, किसी शासकीय परियोजना के लिये ली गई थी तो :-

- कब किस कार्य के लिये और किस विभाग/एजेन्सी द्वारा ली गई थी?

(तथ्यात्मक विवरण)

.....
.....

- क्या उसे बसाने (पुनर्व्यवस्थापन) के लिये कहीं और भूमि दी गई है? हां/नहीं यदि हां, तो उसका विवरण :

.....
.....
.....

- क्या दावेदार से ली गई भूमि अभी उपयोग में नहीं लाई गई है? हां/नहीं

(७) यदि दावेदार के पास कोई पुराना पट्टा या लीज आदि किसी प्रकार का अधिकार पत्र है तो उसके सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण :

.....
.....

४. दावे के संबंध में सत्यापन (स्थल-जांच) रिपोर्ट :

- (१) स्थल का दौरा करने की तारीख :
- (२) उपस्थित वन अधिकार समिति के सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर :
.....
- (३) सत्यापन के समय मौके (स्थल) पर उपस्थित हितबद्ध पक्ष :
- दावेदार/दावेदार का प्रतिनिधि : (नाम) हस्ताक्षर
दावेदार से संबंध
- वन विभाग का प्रतिनिधि (नाम) हस्ताक्षर
- अन्य
- (४) दावेदार या/तथा वन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सत्यापन के समय दावे के समर्थन या खंडन में प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेज (यदि कोई हो) का विवरण :
(i)
(ii)
- (५) दावे की भूमि पर मौजूद भौतिक साक्ष्य का विवरण (बोया हुआ खेत/मेड़/कुँआ आदि कोई (संरचना) :
.....
.....
.....
- भूमि का बीट का नाम/कम्पार्टमेंट नंबर :
(यदि राजस्व प्रबंध की वन भूमि है तो राजस्व ग्राम का नाम तथा खसरा नंबर)
- वास्तविक कब्जे के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र :
निवास के अन्तर्गत - हेक्टर
खेती के अन्तर्गत - हेक्टर
योग - हेक्टर
- (६) दावे की भूमि में खड़े वृक्षों का विवरण (यदि कोई हो) : प्रजाति संख्या
- (७) - क्या उक्त भूमि पर दावेदार द्वारा स्वयं खेती की जा रही है? हां/नहीं

- क्या खेती और वनोपजों के संग्रह के अलावा दावेदार की आय का और कोई जरिया (स्रोत है?)
..... हां/नहीं. यदि कोई हाँ तो क्या ?

(८) भूमि का मानचित्र (नक्शा) बनाने और क्षेत्रफल निकालने के लिये अपनाया गया तरीका:

5. दावे के संबंध में वन अधिकार समिति का निष्कर्ष :-

- दावे मान्य किये जाने योग्य है/
- दावा निम्नांकित संशोधन के साथ मान्य किये जाने योग्य है :
निवास के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टर
खेती के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टर
कुल क्षेत्रफल हेक्टर

अन्य संशोधन

- दावा निम्नांकित कारण से मान्य किये जाने योग्य नहीं है :
(१) दावेदार वन का प्राथमिक निवासी नहीं है.
(२) दावेदार आजीविका के लिये वन या वन भूमि पर निर्भर नहीं है.
(३) दावेदार १३ दिसम्बर २००५ के पूर्व उसके कब्जे की भूमि से, वैधानिक तरीके से हटाया या विस्थापित किया जा चुका है.
(४) दावेदार वन भूमि पर स्वयं खेती नहीं करता है.
()
()
(इनमें जो लागू न हो उसे काट दें)

तारीख :

.....
(अध्यक्ष)
वन अधिकार समिति

.....
(सचिव)
वन अधिकार समिति